न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी का नामः–रूक्मणि रियार सिहाग,आई.ए.एस.

प्रकरण संख्याः–62 / 2023 विविध (धारा 14 सिक्योरिटाइजेशन)

बंधन बैंक लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय डीएन–32, सॉल्ट लैक सिटी कोलकाता पश्चिम बंगाल मे स्थित है जिसका एक शाखा कार्यालय प्लॉट नं. 10, दुर्गा कॉलोनी प्रथम तल शिवप्रभा कॉम्पलैक्स–हनुमानगढ़ जरिये प्राधिकृत अधिकारी भूपेन्द्र सिंह।

––प्रार्थी

बनाम

1. श्री हीरालाल भगनानी पुत्र श्री धर्मचन्द सिंन्धी
   पता–वार्ड नं. 21 पुराना वार्ड नं. 15, संजय कॉलोनी रावतसर जिला हनुमानगढ़।

––गारन्टर व प्रतिभूति

2. श्री रोशन लाल पुत्र श्री हीरा लाल भगनानी
   पता–वार्ड नं. 21 पुराना वार्ड नं. 15, संजय कॉलोनी रावतसर जिला हनुमानगढ़।
3. श्रीमती कौशल्या देवी पत्नी श्री हीरालाल भगनानी
   पता–वार्ड नं. 21 पुराना वार्ड नं. 15, संजय कॉलोनी रावतसर जिला हनुमानगढ़।

––सहऋणी

4. श्री अनिल कुमार पुत्र श्री रामचन्द्र सिंधी
   पता–वार्ड नं. 33, प्रेम नगर हनुमानगढ़ टाउन, जिला हनुमानगढ़।

––गारन्टर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002।

आदेश दिनांकः–06.09.2023

प्रार्थी बंधन बैंक लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय–डी.एन. 32, सैक्टर–वी सॉल्ट लेक सिटी, कलकता पश्चिम बंगाल–700091 में स्थित एवं कार्यरत है जिसका एक शाखा कार्यालय प्लॉट नं. 10, दुर्गा कॉलोनी प्रथम तल शिवप्रभा कॉम्पलैक्स–हनुमानगढ़ में स्थित एवं कार्यरत है जिसके प्राधिकृत अधिकारी भूपेन्द्र सिंह है। प्रार्थी बंधन बैंक लिमिटेड को शश्वत अधिकार एवं सामान्य मुद्रा के अन्तर्गत अपने नाम से वाद लाने का अधिकार है। प्राधिकृत अधिकारी रिकॉर्ड के आधार पर प्रार्थना–पत्र के सभी तथ्यों से परिचित है व उनको प्रार्थी बैंक की ओर से साक्ष्य देने, प्रार्थना पत्र पर हस्ताक्षर एवं सत्यापन करने और प्रार्थना पत्र के निपटारे तक की समस्त कार्यवाही करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है।

प्रार्थी बंधन बैंक जरिये प्राधिकृत अधिकारी की ओर से श्री जयपाल झौरड वकील उपस्थित आये जिनको सुना गया। बैंक के वकील ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थीगण को प्रार्थी बैंक द्वारा दिनांक 29.10.2015 को जरिये ऋण खाता

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

संख्या 712/51 में ऋण राशि 30,00,000/– रूपये(अखरे तीस लाख) का ऋण स्वीकृत एवं वितरित किया गया। अप्रार्थीगण ने उक्त ऋण मय ब्याज पुनभुर्गतान सिक्योरिटी के रूप में अपनी अचल आवासीय सम्पत्ति–(जिसका शाश्वत लीज–पत्र नगरपालिका बोर्ड रावतसर के संकल्प सं. 01 दिनांक 16.06.2023 को जारी) वार्ड नं. 15 रावतसर जिला हनुमानगढ़ राजस्थान पर स्थित है जिसमें भूमि, भवन व ढाँचा आदि सम्पत्ति के अभिन्न अंग है, जिसकी क्षेत्रफल लगभग 299.91 वर्गगज है, जो कि श्री हीरालाल पुत्र श्री धर्मचन्द सिंन्धी के नाम से है, को आवश्यक दस्तावेजों का निष्पादन करके प्रार्थी बैंक के पक्ष में साम्यिक बंधक किया।

अप्रार्थीगण ने बैंक द्वारा प्रदत्त ऋण को ऋण अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार नहीं चुकाने पर उक्त ऋण खाता दिनांक 03.08.2022 को अक्रियान्वित आस्ति के रूप में (एन.पी.ए.) वर्गीकृत कर दिया गया है। अप्रार्थीगण के ऋण खाता संख्या 712/51 में कुल बकाया देय ऋण राशि 40,19,826.77 दिनांक 28.10.2022 तक एवं आगे का ब्याज व खर्चे आदि सहित राशि के प्रतिसंदाय हेतु अप्रार्थीगण ऋणी जिम्मेदार है।

अप्रार्थीगण के ऋण खाता एनपीए होने पर एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगण को नोटिस दिनांकित 28.10.2022 मांग सूचना प्रेषित करने के पश्चात भी अप्रार्थीगण द्वारा उक्त वर्णित बकाया देय ऋण राशि कोई प्रतिसंदाय प्रार्थी बैंक को नहीं किया गया। प्रार्थी बैंक के वकील ने यह भी कथन किया कि नोटिस प्राप्ति के पश्चात भी अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी बैंक की बकाया रकम न तो अदा की और न ही नोटिस का कोई जवाब दिया।

अप्रार्थीगण द्वारा देय ऋण राशि का भुगतान बावजूद मांग के प्रार्थी बैंक को नहीं करने पर उक्त एक्ट के प्रावधानों के अनुसार प्रार्थी बैंक उपरोक्त वर्णित रहन शुदा सम्पति का कब्जा प्राप्त करने व विक्रय कर शेष देय ऋण राशि वसूल करने का अधिकारी है। उक्त एक्ट की धारा के प्रावधानों के अन्तर्गत उक्त रहन शुदा बंधक सम्पति का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा लिया जाना है। प्रार्थी बैंक को भौतिक कब्जा लेने हेतु पुलिस सहायता दिलाये जाने के आदेश फरमाये जावे।

प्रार्थी बैंक के वकील के कथनों पर मनन किया और पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी बैंक को ऋण राशि का भुगतान करने में असफल रहने पर प्रार्थी बैंक द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को नोटिस प्रेषित करना पाया गया। इसके पश्चात भी अप्रार्थीगण द्वारा ऋण राशि की शर्तों के मुताबिक ऋण राशि का भुगतान प्रार्थी बैंक को नहीं करने पर The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत शक्तियों के तहत तथा प्रार्थी बैंक के द्वारा पेश किये गये शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए प्रार्थी बैंक का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी अचल आवासीय सम्पत्ति–(जिसका शाश्वत लीज–पत्र नगरपालिका बोर्ड रावतसर के संकल्प सं. 01 दिनांक 16.06.2023 को जारी) वार्ड नं. 15 रावतसर जिला हनुमानगढ़ राजस्थान पर स्थित है जिसमें भूमि, भवन व ढाँचा आदि सम्पत्ति के अभिन्न अंग है, जिसकी क्षेत्रफल लगभग 299.91 वर्गगज है, जो कि श्री हीरालाल पुत्र श्री धर्मचन्द सिंन्धी के नाम से है, जिसका भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है। जिला पुलिस अधीक्षक हनुमानगढ़ को निर्देश दिये जाते है कि प्रार्थी बैंक को चाहे अनुसार पुलिस सहायता संबंधित पुलिस थाना के माध्यम से नियमानुसार उपलब्ध करवाई जावे। पत्रावली फैसला शुमार होकर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर की जावे।

यह आदेश आज दिनांक 06.09.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट हनुमानगढ़

जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़